



289

मि. निगरानी / विदिशा भू-सू / 2017 / 1745

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. एक/निग./विदिशा/भू.सू./2017/

श्री. लखवत सिंह यादव द्वारा आज दि. 12-6-17 को प्रस्तुत

क  
दस्तावेज नं. 12/17  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 1- शकीना बी पत्नी स्व अजीज खाँ
- 2- पणू खाँ उर्फ कदीर खाँ
- 3- मों खलील खाँ
- 4- मों सईद खाँ पुत्रगण स्व अजीज भाई  
निवासीगण-गौशाला के सामने, वार्ड  
क.17, विदिशा जिला विदिशा म.प्र.  
आवेदकगण  
बनाम

- 1- अलीमउद्दीन पुत्र नसीरउद्दीन  
निवासी- पिडावा जिला झालावाड
- 2- सलीमउल्ला पुत्र नसीमउल्ला  
निवासी- किले क सामने ठंडी  
सडक चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.  
आवेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959  
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय विदिशा, जिला विदिशा के  
प्रकरण क्र 114/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.05.2017  
के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है :-

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :-



### प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्र. 1219, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251 एवं 1252 कुल रकवा 2.874 हैक्टेयर पर आवेदकगण के दादा सकूर खाँ व उनकी मृत्यु के आवेदकगण के भाई अजीज भाई उपकृषक पट्टेदार के रूप में काबिज होकर निरंतर लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से खेती

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/1745

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p> <p style="text-align: left;">  </p>	